

07.01.22

पत्रावली के डी.डी. को
मौज यावा पत्रावली के
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला-दौसा (राज०)

दिनांक 17.01.22

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी...
पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहू बाहर पधारे हैं।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22.02.22...
को पेश हो।

[Signature]
रीडर

22.02.2022

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये।
वकील प्रार्थी की शक्यता पर सुनी जा रही।
पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 04.03.2022 को
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

4.3.22


पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित।
संक्षेप में आदेश क्रमांक-9 नियम-5 के तहत
इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा अपने वाद
को पुनः नम्बर पर लिखे जाने हेतु निर्देश
किया है। वादी द्वारा वाद-पत्र के साथ
(तलवाज) पेश किया जाना तथा नया वाद
खारीज कर दिने जाने से नया वाद करने पर
वादी को पृथक से ध्यान देना आवश्यक है।

कृष्ण व कार्यवाही का इतिहास जज
कान
दु. सं.

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

इस हुक्म खारिज किये जाने काद को
हुक्म नम्बर पर लिये हुए उक्त जापत्र
पेश किया है। ऊपर पक्षकारान (अजाधीन)
के विरुद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही की
जा चुकी है। वह एक पक्षीय हुनी गयी
जिसमें 'पक्षी' द्वारा जापत्र के लयों के
ही दोहराया गया।

ऊपर पक्षी का जापत्र आदेश-9
विषय-5 स्वीकार किया जाता है। मूल
दोनों के नम्बर पर लिख जाने के
आदेश दिये जाते हैं। जापत्र/पत्रावली
केशल सुमार होकर नम्बर से कम हो (का)
शामिल मूल काद रहे।


उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दोसा